



कार्यालय कलेक्टर, (डीएमएफ) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252216, 252911 (फैक्स) 252215 mail- narayanpur.cg@gov.in

// भर्ती विज्ञापन //

विज्ञापन क्र./239/DMFT/भर्ती/ 2023

नारायणपुर, दिनांक 05/06/2023

—00—

जिला खनिज संस्थान न्यास नारायणपुर हेतु जिला स्तर पर स्वीकृत पद लेखापाल (01 पद अनारक्षित) एवं सहायक ग्रेड 03 (02 पद अ.ज.जा. मुक्त) पद की संविदा नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कलेक्टर, डी.एम.एफ. शाखा, जिला नारायणपुर (छ.ग.) पिन 494661 के नाम से प्रेषित किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र अंतिम तिथि दिनांक 05/06/2023 शाम 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, आवेदन प्रारूप एवं अन्य विवरण नारायणपुर जिले के वेबसाईट www.narayanpur.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी गई है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

 05/06/23

नोडल अधिकारी

जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला नारायणपुर (छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर, (डीएमएफ) जिला नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष (कार्यालय) 07781-252216, 252911 (फैक्स) 252215 mail- narayanpur.cg@gov.in

// भर्ती विज्ञापन //

विज्ञापन क्र./ 236 / DMFT / भर्ती / 2023

नारायणपुर, दिनांक 05/06/2023

—00—

छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 7-34/2016/XII रायपुर दिनांक 23.03.2021 द्वारा स्वीकृत पद संरचना अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, 2015 के नियम 26 के उपनियम (4) के तहत जिला नारायणपुर खनिज न्यास हेतु स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कलेक्टर, डी.एम.एफ. शाखा जिला नारायणपुर (छ.ग.) पिन कोड 494661 के नाम से प्रेषित किया जा सकता है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र अंतिम तिथि दिनांक 26/06/23 शाम 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापित पद का विवरण निम्नानुसार है :-

स. क्र.	पद का नाम	पद का स्वरूप	वेतनमान	वर्गवार	आयु		शैक्षणिक योग्यता
					न्यूनतम	अधिकतम	
1.	लेखापाल (कुल पद 01)	प्रतिनियुक्ति /संविदा	5200- 20200+2400/ 18420/ (एकमुश्त)	अनारक्षित (मुक्त-1)	21 वर्ष	62 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से बी.कॉम में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से पीजीडीसीए उत्तीर्ण एवं Tally Software का पर्याप्त ज्ञान।
2.	सहायक ग्रेड-03 (कुल पद 02)	संविदा	14200/- (एकमुश्त)	(अजजा मुक्त-2)	21 वर्ष	35 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा एवं न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र। 3. कम्प्यूटर में हिंदी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति होना चाहिये। 4. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था

							अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी) का प्रमाण पत्र।
--	--	--	--	--	--	--	---

चयन की प्रक्रिया

लेखापाल,

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता बी.कॉम (स्नातक) एवं अनुभव के अंक के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कौशल परीक्षा कुल 100 अंक की होगी। जिसमें M.S. Word-25 अंक M.S. Excel-25 अंक Tally Software-25, Ms Powerpoint-25 अंक होंगे। अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

सहायक ग्रेड-03,

1. कलेक्टर सह अध्यक्ष प्रबंधकारिणी समिति द्वारा चयनित एवं शासी परिषद् द्वारा अनुमोदित।
2. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता 12 वीं कक्षा के आधार पर रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कौशल परीक्षा कुल 75 अंक की होगी। जिसमें M.S. Word-25 अंक M.S. Excel-25 अंक M.S. Powerpoint-25 अंक होंगे। हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग के संबंध में 5000 (key) की डिप्रेशन प्रति घंटा गति निर्धारण हेतु ली गई परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग का 5000 की (key) डिप्रेशन प्रति घंटा गति नहीं होने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी। अंतिम चयन केवल कौशल परीक्षा में प्राप्तांक तथा कम्प्यूटर टायपिंग में सफल होने के आधार पर किया जायेगा।

नियम एवं शर्त :-

1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
2. लेखापाल के पद हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर सेवानिवृत्त लेखापाल अथवा (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण) सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड-01 को संविदा द्वारा लिया जा सकेगा।
3. शासन के नियमानुसार आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
4. संविदा नियुक्ति उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष तक के लिए होगी, तत्पश्चात् नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर व संविदा नियुक्ति पर व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी। उक्त अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन भत्ता या अन्य राशि की पात्रता नहीं होगी।
5. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
6. संविदा नियुक्ति पद की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं बिना कारण बताए कभी भी समाप्त की जा सकती है।

7. उपरोक्त सेवा संविदा में मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
8. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
9. यह विज्ञापन विभागीय भर्ती नियमों के अधीन होगी।
10. उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा उक्त संबंध में पारित आदेशों के अधीन होगी।
11. **स्थानीय निवासी:-** छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र आवेदन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
12. **आवश्यक दस्तावेज:-** अभ्यर्थी को आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, प्रमाण पत्र, अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र (स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) निवास प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र, आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण अनुसार आयु सत्यापन हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है। समस्त दस्तावेज की स्व-प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ एवं मूल दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
13. **आयु सीमा:-** दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में संविदा नियुक्ति पद लेखापाल हेतु उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष, सहायक 03 उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिये। छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयुसीमा (35 वर्ष) में 05 की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिव्यांगजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा।
उच्चतर आयु सीमा में छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी। यदि उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है, तो संबंधित दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
14. आरक्षित वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के सभी अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।
15. एक से अधिक रिक्त पदों के भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
16. अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं।
17. किसी विवाहित महिला उम्मीदवारों द्वारा अपने नाम/उपनाम में परिवर्तन किया गया हो, तो परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। मूल दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा।
18. अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

19. अपूर्ण अस्पष्ट तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी एवं ऐसे समस्त आवेदन अमान्य कर दिये जावेंगे।
20. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम एवं आवेदक का वर्ग एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
21. प्राप्त आवेदनों में से पात्र एवं अपात्र पाये गये आवेदकों की सूची (अनुपयुक्तता का कारण दर्शाते हुए) जिले के वेबसाइट www.narayanpur.gov.in में अपलोड किया जायेगा। आवेदकों की प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की सूचना तथा कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से दी जावेगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे- आधार कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड एवं अपने अर्हता से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों सहित कौशल परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।
22. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
23. विज्ञापन/आवेदन का प्रारूप कार्यालय कलेक्टर के सूचना पटल पर एवं नारायणपुर जिले के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
24. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें विज्ञापन में दिये गये निर्देशों/नियमों, शर्तों को पूरा करने पर ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिये नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होगा।
25. दस्तावेजों की कमी को प्रथम दावा-आपत्ति के अंतिम तिथि तक पूरा किया जा सकेगा।
26. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
27. लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
28. शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची/प्रमाण पत्र (निवास/जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना होगा।
29. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र नियुक्ति के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
30. आवेदक आवेदित किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेंगे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
31. **अनर्हता:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-

(I) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(II) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

(III) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(IV) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

32. आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद अनर्ह पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।
33. **प्रतीक्षा सूची**:- प्रतीक्षा सूची घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक से 01 वर्ष के लिये वैध होगी।
34. अभ्यर्थी के चयन उपरांत यदि उनके द्वारा प्रस्तुत कोई जानकारी असत्य/मिथ्या पायी जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
35. विज्ञापित पदों पर भर्ती हेतु भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन व विविध प्रवर्गों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित व जारी किए गए आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट संबंधी निर्देशों, नियमों व शर्तों का पालन किया जाएगा।
36. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।


मोडल अधिकारी

जिला खनिज संस्थान न्यास

जिला नारायणपुर (छ.ग.)


नारायणपुर, दिनांक २५/०६/२०२३

पृ.क्र./ 237/DMFT/भर्ती/ 2023

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।

2. व्यवस्थापक, छ.ग. जिला खनिज संस्थान न्यास एवं सचिव छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. संचालक छ.ग. शासन जनसम्पर्क विभाग नवा रायपुर अटल नगर को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
5. संचालक, संचालनालय, सैनिक कल्याण, छ0ग0 रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
8. सर्व कार्यालय प्रमुख को सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ। कृपया जिले के वेबसाइट में विज्ञापन अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, नारायणपुर की ओर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।
11. जिला रोजगार कार्यालय, जिला नारायणपुर को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
12. जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
13. कार्यालय प्रति।


नोडल अधिकारी
जिला खनिज संस्थान न्यास
जिला नारायणपुर (छ.ग.)

लेखापाल/सहायक ग्रेड 03

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर
जिला - नारायणपुर (छ0ग0)

अभ्यर्थी स्व
सत्यापित फोटो
चस्पा करें।

- 1 आवेदित पद का नाम :-
- 2 आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :-
- 3 आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) :-
- 4 पिता/पति का पूरा नाम :-
- 5 माता का नाम :-
- 6 जन्मतिथि (अंको में) :-
- जन्मतिथि (शब्दों में) :-
- 7 01.01.2023 को आयु(5वीं/10वीं का मार्कशीट संलग्न करें) :- वर्ष माह दिन
- 8 लिंग(महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :-
- 9 आवेदक की जाति (कृपया जाति अंकित करें) :-
- जाति प्रवर्ग अना./अ.ज.जा/अ.जा/अपिव
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 10 आयु सीमा में छूट चाहते हैं हां/नहीं :-
- 11 यदि छूट चाहते हैं तो छूट का आधार :-
- (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 12 छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी/मूल निवास है हाँ/नहीं :-
- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 13 क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं (हां/नहीं) :-
- 14 आवेदक किस प्रकार की निशक्तता से बाधित है :-
- (श्रवण/दृष्टि/अस्थि/अन्य)
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 15 स्थायी निवास का पता :-

पिन कोड

16. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :-

.....

.....

पिन कोड

17. शैक्षणिक योग्यता (स्व सत्यापित प्रति संलग्न करें) :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/स्कूल/संस्था का नाम स्कूल का नाम व पता	परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

18. अर्हकारी परीक्षा में पूर्णांक/प्राप्तांक के जगह ग्रेड पद्धति से अगर मूल्यांकन किया गया है जिस संस्था/स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे जिस पर चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

19. चयन के पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी को बुलवाया जा सकेगा जिस पर चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

20. क्या आप शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में वर्तमान में सेवारत है (हां/नहीं)

अ - धारित पद का नाम :-

ब- कार्य की अवधि:- दिनांक..... से तक कुल अवधि वर्ष.....

स- नियोक्ता/कार्यालय का नाम पता :-

.....

21. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं? यदि हां तो विवरण देंगे

22. क्या आप विवाहित हैं हां/नहीं

यदि हां तो विवाह की तिथि अंकित करें

23. जीवित संतानों की कुल संख्या

24. ऐसे संतान की संख्या, जिनका जन्म 26.01.2001

को या उसके पश्चात हुआ हो।

(दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में पात्रता संबंधी शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)

25. क्या आवेदक/आवेदिका के विरुद्ध कोई दण्डित

प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय से अनुसंधान

/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में

निराकृत हो चुका है? हां तो संबंधित अधिनियम एवं

धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की

जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

26. आवेदित पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं आत्मज/आत्मजा/पति श्री
द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम विश्वास और ज्ञान के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई जानकारी, चयन के पूर्व या उसके बाद गलत अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जायेगी। यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा तथ्य छुपाये जाने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने की स्थिति में या नियुक्ति हेतु किसी प्रकार की अपात्रता का प्रमाण मिलने पर मेरा चयन/नियुक्त निरस्त की जा सकेगी तथा नियुक्ति संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक :-

नाम :-

स्थान :-

मोबाईल नं. :-